भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 466 का उत्तर

पुराने और अप्रचलित ट्रैक

466. श्री सत्यदेव पचौरीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुराने और अप्रचलित मार्गों के कारण रेलवे को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बारंबार होने वाली रेल दुर्घटनाओं का कारण ये मार्ग अप्रचलित हैं; और
(घ) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान लगभग कितनी दूरी के मार्गों को आधुनिक रेल मार्गों से बदला गया है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

Sk

पुराने और अप्रचलित ट्रैक के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को लोक सभा में श्री सत्यदेव पचौरी के अतारांकित प्रश्न सं. 466 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): जी नहीं। रेलपथों का प्रतिस्थापन रेलपथ नवीकरण कार्यों के माध्यम से किया जाता है जो एक सतत प्रक्रिया है। रेलपथ नवीकरण कार्यों को तब शुरू किया जाता है जब आयु/स्थिति अर्थात सकल मिलियन टन में ढोए गए यातायात, पटरी में दरार/विफलता की घटना, पटरियों का घिसना, पटरियों का जंगग्रस्त होना, मानक के अनुसार रेलपथ का अनुरक्षण आदि के आधार पर भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में निर्धारित मानदंडों के आधार पर रेलपथ का कोई भाग नवीकरण के लिए देय होता है। मीटर लाइन (एमजी) और छोटी लाइन (एनजी) पर स्थित वे रेलपथ, जिन्हें आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत किया गया है, का रेलपथ नवीकरण कार्य, यदि अपेक्षित हो, आमान परिवर्तन के निष्पादन की प्रगति पर यथोचित रूप से विचार करने के बाद शुरू किया जाता है।

इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि पिछले दो वर्षों में रेलगाड़ी दुर्घटना का कारण पुराना रेलपथ रहा है। रेलपथ नवीकरण संबंधी कार्य प्रति वर्ष ढोए गए यातायात और उनकी स्थिति के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं और उनके निष्पादन की प्राथमिकता रेलपथ की स्थिति और निधि की समग्र उपलब्धता के अनुसार तय की जाती है।

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष में किए गए रेलपथ नवीकरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रगति (पूर्ण रेलपथ नवीकरण इकाई)
2015-16	2794
2016-17	2487
2017-18	4023
2018-19	4181
2019-20	2643 (अक्टूबर, 2019 तक)

*****

Sk